2 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs.2

169

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर

निग - 217 - II-16

प्रकरण क्रमांक | 2016 निगरानी

श्रीमति शांति कुशवाहा आयु 55 वर्ष पेशा ग्रहकार्य पत्नी दिविया कुशवाहा निवासी ग्राम बड़ोनी तह. बड़ौनी जिला दतिया (म.प्र.)

निगरानीकर्ता

बनाम

दिनांक 20-1-16 को श्री आनन्द दुबे अभि० द्वारा प्रस्तुत।
20-1-16
50

1. धर्मेन्द्र कुशवाहा आयु 18 वर्ष पेशा लल्लू कुशवाहा
2. राकेश कुशवाहा आयु 15 वर्ष पुत्र व संरक्षक पिता लल्लू कुशवाहा
3. महेश कुशवाहा आयु 21 वर्ष पेशा कृषि पुत्र परम कुशवाहा
4. संजय कुशवाहा आयु 10 वर्ष पुत्र व संरक्षक परम कुशवाहा
5. उत्तम कुशवाहा आयु 18 वर्ष पुत्र श्री गोपाल कुशवाहा, समस्त निवासीगण ग्राम बड़ौनी तह. बड़ौनी जिला ग्वालियर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (3) म.प्र. राजस्व संहिता के अन्तर्गत योग्य अनुविभागीय अधिकारी महोदय दतिया द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक अपील 10/A/15-16 श्रीमती शांति देवी कुशवाहा वनाम धर्मेन्द्र कुशवाहा निवासी ग्राम बड़ौनी तह. व जिला दतिया के अपील का निराकरण गुण दोषो पर नहीं करते हुये धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन निरस्त करते हुये। अपीलान्ट के अधिकारो पर कुठाराघात किया है। इसी आदेश से दुःखी होकर वर्तमान निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है।

महोदय,

निगरानी से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है –

नि. शान्ति

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 217-II/16 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–6–2016	आवेदक अभिभाषक श्री आनन्द कुमार दुबे उपस्थित । उनके द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 22–6–16 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निगरानी प्रकरण वापस लेना चाहते है । उनका आवेदन पत्र इस लिबर्टी के साथ स्वीकार किया जाता है कि विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । (एम0 के0 सिंह) सदस्य	